228

संख्या–एस0जी0:– 301 /7–1–2013–700(382)/2013.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादूनः दिनांक 31 दिसम्बर, 2013.

विषयः– **जनपद–पिथौरागढ़ में हिमोत्थान परियोजना फेज–3 के अन्तर्गत ग्राम–धामीगाँव पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.0187 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु जल संरक्षण एवं स्वच्छता समिति, धामीगाँव को 20 वर्षों की लीज पर दिया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1389/2जी–444 (पिथौ0) दिनांक 09–12–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय **जनपद–पिथौरागढ़ में हिमोत्थान परियोजना फेज–3 के अन्तर्गत ग्राम–धामीगाँव पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.0187 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु जल संरक्षण एवं स्वच्छता समिति, धामीगाँव को 20 वर्षों की लीज पर** दिये जाने की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 03–01–2005 तथा पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 11–09–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के तहत प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
7. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. परियोजना के निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
10. प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी वन विभाग को वानिकी कार्यों के लिए निःशुल्क जलापूर्ति करेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पाईप हेतु खोदी गई नाली में पाईप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा व भूक्षरण को रोकने हेतु आवश्यक वानस्पतिक प्रजातियों/घास/झाड़ियों का रोपण किया जायेगा।

13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दोनों इन्टेक चैम्बर से जल श्रोत से विद्यमान जल के 50 प्रतिशत से अधिक का विदोहन नहीं किया जायेगा और इन्टेक चैम्बर भी इसी के अनुसार निर्मित किये जायेंगे।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नाली से उत्सर्जित मलवे को सुरक्षित स्थल पर ढुलान करके ले जाया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कोई भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण की धनराशि को भारत सरकार के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल पुनर्वास पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।
18. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग से विधीक्षित करवाया जायेगा व उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य निष्पादित किया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः–198/7–जी0–सी0–89–3–98, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक "0070"–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01 –की सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।**
19. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 85/7(व.भू.ह.)–1–2007–700 (1994)/2007 दिनांक 21–9–2007 के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं हेतु प्रस्तावित वन भूमि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन गठित पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को निःशुल्क प्रत्यावर्तित की जायेगी।

2- उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001, शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 9–9–2005 एवं के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या–एस0जी0:– 301 /7–1–2013–700(382)/2013 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कैम्प कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौराढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अध्यक्ष, जल संरक्षण स्वच्छता समिति, धामीगाँव, मुनस्यारी, जनपद–पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।